तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष० उपस्थित। बहस अंतिम पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि ग्राम खैराबाद में स्थित ख.नं. 406 रकबा 4.53 हैक्टर भूमि वादीगण के खाते व कब्जे की है परन्तु जमाबंदी में माफी रिज्यूम व धड़ा शब्द का अंकन होने से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने तथा बैंक से ऋण लेने में कठिनाईयां आती है, जबकि उक्त भूमि माफी रिज्यूम हो चुकी है। अत: उक्त आराजी से माफी रिज्यूम शब्द हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। प्रकरण में तहसीलदार के पत्रांक 245 दिनांक 03/4/2024 से प्राप्त पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 2/4/24 के अनुसार - ग्राम खैराबाद की ख.नं. 406 रकबा 4.53 है. भूमि माफी रिज्यूम घनश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन हि. 1/4 बनाम माफी रिज्यूम ममता पत्नी राजेन्द्रकुमार हि. 3/4 जाति महाजन सा-देह धड़ा दर्ज रिकार्ड है। खातेदार उक्त भूमि पर मौके पर काबिज है तथा काश्त की जा रही है। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो तामील हुक्म की तारीख में जारी हुए
	माफी रिज्यूम व सिवाय चक होने के कारण उक्त खाते पर किसी प्रकार का नामांतरकरण (न्यायादेश के अलावा) Online दर्ज नहीं हो रहा है। सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2004-2024 में खा.नं. 406 माफी रिज्यूम - किशनचंद घनश्याम पि. लक्ष्मीनारायण [illegible] महाराज खातेदार दर्ज था। प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गयी है:- 1. आया वादीगण बावजूद ग्राम खैराबाद खा.नं. 406 रकबा 4.53 हैक्टर के आमलिखित खातेदार है जिसके सबूत में वादी द्वारा प्रदर्श-1 जमाबंदी सं. 2072-75 प्रस्तुत की है, जो वादी के पक्ष में है। 2. आया वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के हकदार है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था, परन्तु वादी द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे तनकी उक्त हद में साबित होती हो अतः यह तनकी खिलाफ वादी तय की जाती है। 3. वादीगण जमाबंदी में अंकित माफी रिज्यूम व चक शब्द को नोट हटवाने के हकदार है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था, परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जो इस तनकी को साबित कर सके	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः यह तनकीह खिलाफ वादी तय की जाती है। 4. बारानी भूमि में सेटलमेंट जमाबंदी संवत २००५-२५ में ख.नं. ५०६ माफी खिदमत किशनचंद, धनश्याम पि. लक्ष्मीनारायण कौम ब्राह्मण सा. देह दर्ज था। इस तनकीह को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, जिसके संबंध में प्रतिवादी सरकार मय तहसीलदार के पत्र दिनांक ०३/५/२०२५ व प्राप्त रिपोर्ट पटवारी दिनांक ०२/५/२०२५ के बिन्दु संख्या 4 के द्वारा पुष्टि की जा चुकी है। अतः यह तनकीह बहक प्रतिवादी तय की जाती है। उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार वादी अपने कथनों को सिद्ध करने में असफल रहा है। जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के बाद अधिनियम की धारा-13 के तहत माफी में धारित भूमि के पुनर्ग्रहण पर "खुदकाश्त" रखने वाला सम्पदाधारक को ही खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के प्रावधान है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/रिकार्ड हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें माफी खिदमत के आदेश/तिथि तथा वादीगण अथवा पूर्व खातेदार (पूर्वज) "खुदकाश्त" के रूप में दर्ज रिकार्ड रहे हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हु...
	अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नत्थी के बाद दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09/2/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) [illegible] I.A.S. उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)	